

## ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांक: अ0मु0का0अ0(एम)/2015/35331

दिनांक 26 जून, 2015

### कार्यालय-आदेश

आदेशित किया जाता है कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सैक्टरों के विकास कार्य कराये जाने के फलस्वरूप अर्ह आवंटियों के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात सीवर एवं वाटर कनेक्शन के कार्य परियोजना विभाग द्वारा कराये जाने हेतु आवश्यक समयावधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1. सीवर कनेक्शन हेतु - 7 दिन
2. वाटर कनेक्शन हेतु - 7 दिन

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मानवेन्द्र सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एच/वाई)
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना)।
5. गार्ड फाइल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी